:: न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल ग्वालियर (मध्य- प्रदेश) ::

कार्यालय कलेक्टर, धार
21 MAR 2012

R-2122-PBR/12

भग्गा उर्फ भग्गालाल पिता मांगीलाल सिर्वी,
निवासी ग्राम धुलेट, तहसील सरदारपुर,
जिला धार (मध्य- प्रदेश) :----प्रार्थी
:निगरानीकर्ता :

बनाम

मध्य- प्रदेश शासन :---- विपक्षी

:: निगरानी अर्ज धारा (50) भू. राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ::

मान्यवर महोदय,

श्रीमान् की सेवा में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अर्ज है कि माननीय उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल के स्पष्ट न्याय उदाहरण है कि धारा 124 से 129 भू. राजस्व संहिता अनुसार जहाँ नपती का प्रश्न हो वहाँ, स्थायी मीनारा व सीमा चिन्ह कायम करना जरूरी है, उसको खोज कर उसस्थान से सीमांकन प्रारंभ कर जिस भूमि के सीमांकन के लिये आवेदक ने आवेदन दिया है उस भूमि के आस पास के चारो तरफ के सभी सर्वे नम्बरान का सीमांकन करना चाहिये उसके उपरांत ही आवेदित भूमि के सर्वे का प्रश्न पैदा होता है और उसी से उसके रकबे का पता लग सकताहै ऐसा यदि सीमांकन की कार्यवाही में नही हुआ तो सीमांकन की कार्यवाही अवैद्य है, विधी की बतायीगई आवश्यक प्रक्रिया के विरूद्ध है, यह सब सीमांकनकर्ता राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार आदि के लिये आवश्यक है, इसके बावजुद मात्र किसी आवेदित सर्वे नम्बरमात्रको नाप देने से अथवा बिना अड़ोसी पड़ोसी कास्तकारों को व हितधारी को सूचनादिये बगैर व नियम उपनियमों का पालन किये बिनाकोईकार्यवाही की हो तो वह व्यर्थ है, यह सब बात थी इसके बावजुद तहसीलदार महोदय, सरदारपुरके राजस्वप्रकरण क्रमांक 41/2009-10×अ/12 में

निरन्तर पेज-2पर

पेज(2)

आदेश दिनांक 8-6-2010 को भूमिसर्वे क्रमांक 837/2, 838/2, 935/2/1 के संबंध में की गई नप्ती की कार्यवाही विचाराधिकार रहित थी, अवैद्ध थी, प्रतिवेदन व पंचनामा आदि विचाराधिकार रहित है ऐसी अवैद्ध कार्यवाहीको अपर कलेक्टरमहोदय, जिलाधार ने अपनी राजस्वनिगरानी प्रकरण क्रमांक 69/2010-11 में आज्ञा दिनांक 29.10.2011 द्वारा मेरी निगरानी मंजुरकर तहसील की सारी कार्यवाहीअपास्त करनाथी, ऐसान करमेरी निगरानी आज्ञा दिनांक 29.10.2011 द्वारा नामंजुर कर दी उक्त आज्ञा से असंतुष्टहोकर यह निगरानी अर्ज निम्न आधारों परसादर सद्भावनापूर्वककानुन सम्मत पेश है :-

:: निगरानी ::

82

सोबरन X शासन

R 2122 PBR/12 (धारा)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि० आदि के हस्ताक्षर
16.12.2015	आवेदक की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा पक्षकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	No Instructions. अजय श्रीवास्तव Adv. 16/12/2015